न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
अपील डिक्री/टीए/628/2004/बाडमेर

1—नारायणाराम पुत्र श्री आम्बाराम जी कुम्हार
2—बाबूराम पुत्र श्री आम्बाराम जी कुम्हार
3—देरामाराम पुत्र श्री बागाराम जी कुम्हार
4—पुरखाराम पुत्र श्री बागाराम जी कुम्हार
5—जैसाराम पुत्र श्री बागाराम जी कुम्हार
6—पूराराम पुत्र श्री बागाराम जी कुम्हार
7—सरुपाराम पुत्र श्री बागाराम जी कुम्हार
8—पुरखाराम पुत्र श्री गोविन्दाराम जी कुम्हार
9—सांगाराम पुत्र श्री गोविन्दाराम जी कुम्हार
10—छगनाराम पुत्र श्री अनोपाराम जी कुम्हार
11—खेताराम पुत्र श्री अनोपाराम जी कुम्हार
12 लाच्छाराम पुत्र श्री अनोपाराम जी कुम्हार
13—मुस0 जतनो पत्नी श्री अनोपाराम जी कुम्होर
निवासीयान अमरसिंह की ढाणी (भीयाड) तहसील शिव, जिला बाडमेर

—अपीलांटस

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिव जिला बाडमेर
2—देवाराम पुत्र श्री आम्बाराम जी कुम्हार निवासी अमरसिंह की ढाणी (भियाड) तहसील शिव जिला बाडेमेर

— — —रैस्पोडेंटस

खण्डपीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री डूँगर सिंह राठौड अभिभाषक, अपीलांटस
श्री वी0पी0 सिंह राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेंट सं0 1 की ओर से
श्री वी0एस राठौड अभिभाषक रैस्पो0संख्या 2 की ओर से

दिनांक **दिनांक 16—11—2018**

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.7.2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर बाडमेर के समक्ष पेश कर जाहिर किया कि वक्त भू— बन्दोबस्त समस्त आराजी रकबा 473 बीघा पर काश्त व कब्जा मृत वादी बागाराम व मृत वादी गोविन्दराम व अनोपाराम का था एवं पैमाईश के समय परिवार के मुखिया बागाराम ने समस्त खेत जो एक चक

में है व रास्ते के कारण दो भागों में बंट गया है की पैमइश कराई थी कि वक्त पैमाइश बन्दोबस्त अधिकारियों ने अपीलांट के खेत के खसरा नम्बर 718, 917, 827, 830, 874, 875, व 873 तथा 876 कायम कर पर्चा लगान जारी किया तथा खसरा नंबर 873 रकबा 72 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नंबर 876 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा जो अपीलांटस के खेतों के बीच में आये है की किस्म गैरमुमकिन मगरा दर्ज कर सरकारी खाते में अंकित कर दिया। दावा पेश होने पर परीक्षण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी कोसुनवाई हेतु नोटिस जारी किया। इसके बाद प्रतिवादी/रेस्पोडेंट व वादीगण/अपीलांट के दावे का प्रति उत्तर पेश किया व विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वाद में तीन तनकीयात कायम कर व उस पर साक्ष्य सबूत लेकर दोनो पक्षों की सुनवाई के उपरांत अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22–6–2002 को वाद वादी अपीलांटस खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के समक्ष पेश की। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–7–2003 के द्वारा अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया । जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो के वाक्यात को दोहराते हुए बताया कि राजस्व अपील अधिकारी ने अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज कर कानूनी त्रुटि की है। उनका आगे तर्क है कि विद्वान अधीनस्थ दोनो न्यायालयें ने खसरा नंबर 873 व 876 पर वक्त जागीर से काश्त कब्जा अपीलांटस के वारिसान का रहा है एवं दोनो खेत अपीलांटस के अन्य खेतों के अभिन्न अंग है। मौके पर इनका कोई पृथक अस्तित्व नही है। उक्त तर्क को न मानने में भूल की है। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर आई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का सही विवेचन नही किया है अगर सही विवेचन किया जाता तो यह साबित है कि वादीगण/अपीलांटस का वाद स्वीकार किये जाने योग्य था। उनका आगे तर्क है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने जो मौके की रिपोर्ट मंगवाई गयी है जिसको देखने से साफ स्पष्ट हो जाता है कि विवादित आराजी काश्त में काम आ रही है और उसके मगरे में कोई मौके पर नही है। अगर उक्त जमीन काश्त योग्य है तो उक्त आराजी को बन्दोबस्त अधिकारियों ने गलत गैरमुमकिन मगरे में दर्ज किया है। लेकिन इस ओर

कोई ध्यान नही देकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है वे निरस्त किये जाने योग्य हैं। अन्त में अपील स्वीकार कर, दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपीलांटस की ओर से की गयी बहस का खण्डन करते हुए दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को कानून सम्मत बताते हुए तर्क दिया कि अपीलांटस अपने वाद को सफल करने में असफल रहे है। अपीलांटस विवादित आराजी पर अपना कब्जा बता रहे है लेकिन उनका यह कब्जा एक अतिक्रमी की हैसियत से है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय व डिक्री पत्रावली पर आये दस्तावेजी साक्ष्य व बयानों के आधार पर ही पारित किये है। उनका यह भी तर्क है कि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री समवर्ती है, जिनमें हस्तगत द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अन्त में अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6— उभयपक्षकारान की ओर से अपील पर की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध अपीलाधीन निर्णयों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ परीक्षण द्वारा अपीलांटस की ओर से वाद प्रस्तुत होने पर दावे में तनकीयात कायम कर ,पत्रावली पर आये सभी दस्तावेजी साक्ष्य एवं बयानात पर विस्तृत विवेचन कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22—6—2002 के द्वारा वाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया है। अपीलांटस/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित होता कि विवादित आराजी पर उनकी खातेदारी की अन्य भूमि का अभिन्न अंग है और उनका कब्जा काश्त बतौर खातेदार चला रहा है, किन्तु वादीगण द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है वह मात्र वर्तमान समय की है जिसके अनुसार विवादित आराजी गैरमुमकिन मगरा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना पाया जाता है। दावे में जो तकनी नम्बर एक परीक्षण न्यायालय ने निर्मित की है वह इसी आधार पर है। अपीलांटस वादीगण उक्त तनकी को साबित करने में असफल रहे हं जिससे उक्त तनकी उनके विरुद्ध निर्णित की गयी है। जो तनकी नंबर 2 व 3 बनाई गयी हैं , उक्त दोनो तनकी ,तनकी नंबर एक पर ही आधारित है। विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज करने में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के समक्ष

प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा भी अपना निर्णय विस्तृत विवेचन के साथ पारित कर वादीगण/अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज करने में कोई कानूनी त्रुटि नही की गयी है। चूँकि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री समवर्ती है और समवर्ती निर्णय व डिक्री में हम हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। परिणामस्वरुप यह द्वितीय अपील सारहीन व निराधार होने से खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

7— अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह द्वितीय अपील खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24—7—2003 एवं सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22—06—2002 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(महावीर सिंह)
सदस्य